कार्यालयः मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद सं0 420/2019-20 प्राधिकरण बनाम् श्री विपिन यादव, सरस्वती कुण्ड के पास रामलीला ग्राउण्ड से कान्हा माखन स्कूल रोड, गोविन्द नगर, मथुरा ।

उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 07.03.2020 के क्रम में श्री बद्रीनाथ कन्स्ट्रक्शन प्रोपराइटर श्री राहुल सिंघल पुत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल, द्वारा विकास अनुज्ञा शुल्क रू0 20,000.00, विकास शुल्क रू0 62,04,767.00, निरीक्षण शुल्क रू0 1,02,200.00, शैल्टर शुल्क रू0 12,76,800.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0 76,03,767.00, (रुपये छहत्तर लाख तीन हजार सात सौ सड़सठ मात्र) प्राधिकरण कोष में दिनांक 30.05.2020 को प्राधिकरण कोष में जमा कर दिये गये है ।

अतः मै0 बद्रीनाथ कन्स्ट्रक्शन प्रोपराइटर श्री राहुल सिंघल पुत्र श्री शिव शंकर अग्रवाल के नाम से तलपट मानचित्र वाद संख्या 420/2019-2020 को उ0प्र0 नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत प्रशमन किया जाता है । शर्ते मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा कर दी गई है । यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का प्रमाण नही होगी ।

उपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा।

शर्तेः-

वाद संख्या-420/2019-2020 मै0 बद्रीनाथ कन्स्ट्रक्शन प्रोपाराइटर श्री राहुल सिंघल

1-मानचित्र स्वीकृति भू-स्वामित्व को प्रभावित नही करेगी । भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त मान्य होगा एवं मानचित्र स्वीकृति आवेदक द्वारा प्रस्तुत गुरु कृपा वाटिका आवासीय कॉलोनी कॉलोनी के निवासियों के अनापत्ति पत्र के अधीन होगी।

2-प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुरक्षण पक्ष द्वारा तब तक किया जाता रहेगा, जब तक सम्बन्धित नगर पालिका/सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नही कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।

3-शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।

4-आवेदक को शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।

5-भविष्य में बढे हुए विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की मांग की जाती है, तो वह आवेदक/विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।

6-भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनादेशों/बोर्ड बैठकों के निर्णयों का अनुपालन करना होगा।

7-पृथक-पृथक भूखण्डों पर निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

8-प्रत्येक भूखण्ड धारक को अपने भूखण्ड के अन्दर सैप्टिक टैंक का निर्माण करना होगा।

9-स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों/शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।

10-आवेदक को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, मथुरा द्वारा जारी अनापत्ति पत्र सं0-408/नजूल/2020, दिनांक 25.01.2020 की सभी शर्तो का पालन करना होगा।

11-प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

12-उ0प्र0 प्रदूषण के नियमानुसार प्राविधान करना होगा।

13-सर्विस प्लान प्रस्तुत करना होगा।

3/7/2020

अवर अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

स्तक सं० 922

प्रपत्र सं० 2

क्रम सं० 92116

ी.......श्री मुकेशराज चोपड़ा व श्री युगल किशोर चोपड़ा..........

बिल सं० -

ग रजि. ो क्र.सं.	भवन का नाम व संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि			छूट यदि कोई दी गई हो
				वकाया यदि कोई हो	वर्तमान कर	योग रू० पै०	
	बाबत अनापत्ति जमीन मौजा गोविन्दपुर के खसरा नं० 397ग व 397घ स्थित 1022 वर्ग मीटर भूमि			मलवा शुल्क		25500	
				जल मूल्य		1500	
						27000	

ोग शब्दों में सत्ताईस हजार मात्र

दिनांक 18-1-2020

कड़िया

खा अधिकारी/राजस्व अधीक्षक

नगर आयुक्त

जांच और समाहरण रजिस्टर

प्रभारी लिपिक

प्पणी :- 1. अनुज्ञप्ति (लाइसेन्सों) की दशा में रसीद अनुज्ञप्ति के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती और यह नगर निगम के अनुज्ञप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती।

2. अवैधानिक निर्माण के गिराये जाने हेतु निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय—नगर निगम मथुरा—वृन्दावन, मथुरा।

संख्या 408 / नजूल / 2020 दिनांकः— 25-01-2020

सेवा में,

सचिव,
मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा।

श्री मुल्कराज चौपडा व श्री जुगलकिशोर चौपडा द्वारा मौजा गोविन्दपुर के खसरा संख्या 397ग व 397घ स्थित 10220 वर्गमीटर भूमि पर नये भवन निर्माण के लिये नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण.पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन के कम में तहसीलदार मथुरा की आख्या दिनांक 09—12—2019 के आधार पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती हैः—

1. आवेदक द्वारा 10220 वर्गमीटर के भूखण्ड पर कवर्ड एरिया मात्र 300 वर्गमीटर दर्शाया गया है इस लिए 300 वर्गमीटर कवर्ड एरिया ही स्वीकृति किया जाय।
2. यदि 300 वर्गमीटरसेअतिरिक्त कवर्ड एरिया स्वीकृति किया जाता है तब अतिरिक्त कवर्ड एरिया का मलवा शुल्क नगर निगम कोष में जमा कराना होगा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन

प्रतिलिपि— श्री मुल्कराज चौपडा व श्री जुगलकिशोर चौपडा को मानचित्र सहित प्रेषित।

25/1/2020
अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन

Scanned with CamScanner